

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर

संख्या :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>२१/२/२०२४</p>	<p>पंजावली प्रभुत/वॉफ उपाधीयत/ उमपपत्र कोशवन्तागण को बधन सुनी गई। प्राणी ने जाहिर किया की वास बँडवारे का है जबतक बँडवारा नहीं हो तब तक उपाधीगण को जरिपे रचाना कोश से पाबन्ड किया जावे। उपाधी कोशवन्ता ने दारोगे बधन निरदन किया कि सभी पत्रकार शामिल होती है तक उपाधीगण को पाबन्ड नहीं किया जावे। दारोगे बधन किए गये कथनों व पंजावली का इवलोकन किया गया। चूँकि वास बँडवारे का है एक सदखोतेशर का हुक्रे सदखोतेशरों को पाबन्ड करना उचित उतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकाश दूरपा, भागला, अपूरकीप इति प्राणी के पत्र के उतीत नहीं होती है। उतः प्रा० पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पंजावली केसल शुभल होकर दारिगल दस्तल हो।</p>	<p><i>(Signature)</i> अधि. प्रतीका- 2/11/24 21/2/24 [Signature] प्राणी अधि. कला 21/2/2024</p>

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर